



राजस्थान सरकार

कृषि निदेशालय, राज. जयपुर

क्रमांक: एफ.4()पौ.सं./तक-11/सीड ड्रेसिंग ड्रम (आरकेवीवाई)/2016-17/24097-24100 दिनांक: 3/17

कार्यालय आदेश

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में राज्य के अन्तर्गत सीड ड्रेसिंग ड्रम विभाग द्वारा क्रय कर उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेशालय के पत्र क्रमांक 20515 दिनांक 13.01.2017 द्वारा आमंत्रित बोली के क्रम में प्राप्त ऑन लाईन प्रस्तावों चाहे गये थे, जिसमें दो निर्माताओं द्वारा ऑन लाईन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये था यथा - 1. मैसर्स आदर्श प्लांट प्रोटेक्ट लि., 604, जीआईडीसी. विठ्ठल उद्योग नगर-388121 आनन्द, गुजरात एवं 2. मैसर्स अवनीश एग्रीटेक, 47, अहीया कॉमर्शियल सेन्टर, गुरुकूल के पास, गोण्डाल रोड़, राजकोट-360002 गुजरात (भारत)।


1. क्रम संख्या 01 पर अंकित निर्माता तकनीकी रूप से सभी मापदण्डों की पूर्ति करता है।
2. क्रम संख्या 02 पर अंकित निर्माता द्वारा अपलोड दस्तावेजों के अनुसार तकनीकी योग्यता के लिए निम्न कमिया है :-

- वांछित टर्नओवर राशि रूपये 2.50 करोड़ से कम है।
- तकनीकी योग्यता में वर्ष 2013-14 से 2015-16 (कुल 3 वर्षों) में से किसी भी एक वर्ष का आपूर्ति अनुभव वांछित अनुभव राशि रूपये 1.5 करोड़ से कम है।
- बोली दस्तावेजों में अंकित स्पेशल टर्मस एण्ड कण्डिशन के क्रम मे भारत सरकार से अनुमोदित संस्थान द्वारा जारी टेस्ट रिपोर्ट पर टेस्टिंग ओथोरिटी के हस्ताक्षर नहीं है।

उपरोक्तानुसार कमेटी ने मैसर्स अवनीश एग्रीटेक को तकनीकी रूप से अयोग्य पाया गया। अतः कमेटी इस फर्म के तकनीकी बोली प्रस्तावों को निरस्त करने की अभिशंषा करती है।

इस प्रकार मैसर्स आदर्श प्लांट प्रोटेक्ट लि., गुजरात तकनीकी रूप से योग्य पाये जाने के कारण एकल बोलीदाता रह गया है। जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अभाव हो गया है। राजस्थान में लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 64(4) के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन में अर्हित फर्मों की संख्या सामान्यतः तीन से कम नहीं होनी चाही है। अतः कमेटी वर्तमान बोली को निरस्त करने की अनुशंषा करती है।

उक्त आदेश निदेशक, कृषि से अनुमोदित है।


(एच.एस.मीना)

संयुक्त निदेशक, कृषि (पौ.सं.)

क्रमांक: एफ.4()पौ.सं./तक-11/सीड ड्रेसिंग ड्रम (आरकेवीवाई)/2016-17/24097-24100 दिनांक: 3/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. प्रबन्ध निदेशक, आर.आई.सी.एल. योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार ई-प्रक्योरमेन्ट साईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
2. उप निदेशक एवं ए.सी.पी., कम्प्यूटर सेल, कृषि आयुक्तालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
3. मैसर्स


(एच.एस.मीना)

संयुक्त निदेशक, कृषि (पौ.सं.)